न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 101/2017 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री राधेश्याम स्वामी पिता भीमदास स्वामी निवासी राज का बाड़ा, गढ के पीछे, चुरू —अपीलार्थी **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 06/12/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के विरूद्ध दिनांक 06.11.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 35 एफ 838390 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 28.08.2017 को कूरियर से आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को भिजवाते हुए सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 28.08.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 08/11/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 06.12.2017 को अपीलार्थी अनुपस्थित तथा प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ अपीलार्थी को वांछित सूचना के सम्बन्ध में अपने पत्रांक/रीडर/सू0प्र0/2017/2507 दिनांक 08.12.2017 से अपीलान्ट को सूचना पत्र भिजवाते हुए ग्राम पंचायत आकड़सादा व रतनपुरा के चार–चार विद्यालयों के मिड–डे–मिल निरीक्षण सम्बन्धी सूचना नहीं होने की सूचना प्रेषित की गई। प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं होकर बी0ई0ई0ओ ऑफिस में होना बताया।

इसी सम्बन्ध में अपीलान्ट के द्वारा बी0ई0ई0ओ0 पंचायत समिति आसीन्द से भी ग्राम पंचायत आकड़सादा व रतनपुरा के चार–चार विद्यालयों के निरीक्षण एवं मिड–डे–मिल निरीक्षण सम्बन्धी सूचना चाही गई। जिसे उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अपीलान्ट के द्वारा राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। राज्य सूचना आयोग के प्रकरण अपील संख्या 4350/2017 निर्णय दिनांक 24.08.2017 के पेरा संख्या 5 में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी तत्समय तहसीलदार के रूप में कार्यरत थे तथा उन्हें ही निरीक्षण करना था। उन्होंने निरीक्षण प्रपत्र कार्यालय में जमा नहीं करवाये। विद्यालय उपस्थिति रजिस्टर एवं पोषाहार वितरण रजिस्टर पर निरीक्षणकर्ता के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। उक्त दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कर यह भी कहा कि तत्कालीन तहसीलदार एवं अपीलार्थी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विचाराधीन प्रकरण में उक्त सूचना मांग कर अपने प्रकरण को मजबूत करना चाहते हैं। इस अपील में प्रत्यर्थी

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बी0ई0ई0ओ को आयोग में प्रस्तुत अपीलोत्तर की प्रति आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से भिजवाने हेतु आदेशित किया गया था। अपीलार्थी को वांछित सूचना बी0ई0ई0ओ कार्यालय आसीन्द से प्राप्त नहीं होने पर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द से उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया जिसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/सू0प्र0/2017/2507 दिनांक 08.12.2017 से सूचना पत्र प्रेषित किया गया जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गई। जैसाकि राज्य सूचना आयोग की अपील संख्या 4350/2017 निर्णय दिनांक 24.08.2017 में स्पष्ट उल्लेखित है कि अपीलार्थी तत्समय तहसीलदार आसीन्द थे उनके द्वारा विद्यालय निरीक्षण एवं मिड डे मिल निरीक्षण कर उनके प्रपत्र उनके कार्यालय में जमा नहीं कराये हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि निरीक्षण सम्बन्धी प्रपत्र बी0ई0ई0ओ कार्यालय से सम्बन्ध रखते हैं फिर उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के कार्यालय से उक्त सूचना मांगी गई जो उचित नहीं है। फिर भी प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में सूचित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होकर बलहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 06/12/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा